कार्यालय : मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर

दिनांक : 03.05.2021

क्रमांक : 36

—: कार्यालय आदेश :—

मैं, डॉ. अजय कुमार बिश्नोई, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (लिंक प्रभार), जोधपुर महानगर, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 34 दिनांक 22.04.2021 में संशोधन करते हुए **माह – मई, 2021** में **दिनांक 08.05.2021** को पूर्व अधिकृत ड्यूटी को निरस्त करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को **दिनांक 08.05.2021** को आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 द.प्र.स. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में **(वक्त प्रातः 9.30 से 11 बजे तक)** करने के लिए एवं उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन हो, उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करता हूँ **अन्य दिनांक की रिमांड ड्यूटी हेतु पूर्ववर्ती आदेश ही प्रभावी रहेगा।**

माह मई, 2021 हेतु

1.	08.05.2021	सुश्री रेणु कुमारी गोयल	महानगर मजिस्ट्रेट संख्या – 05, जोधपुर महानगर	9462318426

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किये गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट : (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टॉफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जायेगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

3.5.21

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर